न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर।
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या– 55/2024
जी.सी.एम.एस– 2025/413
अपीलार्थी :–
पेमाराम पुत्र श्री लखाराम सुथार निवासी पंडितों का बास, तहसील चामू, जिला जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थी :–
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 05.02.2024, जो प्रकरण सं. 4/2024 बअनवान सरकार बनाम पेमाराम में तहसीलदार, चामू द्वारा पारित किया गया।

राजस्व अपील संख्या– 56/2024
जी.सी.एम.एस– 2025/412
अपीलार्थी :–
प्रेमाराम पुत्र श्री फूसाराम सुथार निवासी पंडितों का बास, तहसील चामू, जिला जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थी :–
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, चामू, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 05.02.2024, जो प्रकरण सं. 5/2024 बअनवान सरकार बनाम प्रेमाराम में तहसीलदार, चामू द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–
1. अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द विश्नोई (अपीलार्थी की ओर से)

निर्णय **दिनांक 30.06.2025**

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार चामू द्वारा धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण संख्या 05/2024 एवं 04/2024 में पारित बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश दिनांक 05.02.2024 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 14.03.2024 को पेश की गई है। समान तथ्य, समान पक्षकार होने

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

से निर्णित करना सुविधाजनक एवं निर्णय में एकरूपता रखने की दृष्टि से एक ही निर्णय से इनका निस्तारण किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

2. प्रकरण दर्ज कर प्रत्यर्थी तहसीलदार चामू को नोटिस जारी किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की पत्रावली तलब की गई।

3. अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द विश्नोई की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 170 की ग्राम बीगादेव नगर पटवार मण्डल बारनाउ में आई हुई है। इस खसरा की भूमि की उत्तरी माठ पर खसरा नम्बर 170 के रूप में कटाण सरकारी रास्ता है। पूरे रास्ते का सही नाप नहीं करके सिर्फ मेरे खेत की माठ/कणा/सीमा पर ही माप किया। अपीलांट के सामने वाले खेत का नाप करके रास्ते का सही लोकेशन तय ही नहीं किया। अपीलार्थी वर्ष 2001 से काबिज है। अपीलार्थी ने नाप जोख करवाने के बाद पत्थरगढी करवाकर ही कब्जा किया हैं, अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब पेश किया जिस पर विचार ही नहीं किया गया तथा उसका फैसले में कोई जिक्र ही नहीं है। सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अन्यायपूर्ण तरीके से बेदखली के आदेश पारित किये हैं। खसरा नम्बर 170 के रास्ते का सही नाप किया जावे तथा प्रकरण सही नाप हेतु तहसीलदार चामू को रिमाण्ड किया जावे।

5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। अपीलांट व अन्य सहखातेदारान के नाम ग्राम बिगादेव नगर पटवार मण्डल बारनाउ का खसरा नम्बर 172 रकबा 5.9246 हैक्टेयर खातेदारी में दर्ज है। खसरा संख्या 170 रकबा– हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो खसरा नम्बर 172 की उत्तरी माठ के सहारे चलता है।

पटवारी हल्का ने प्रकरण संख्या 04/2024 में खसरा संख्या 170 की भूमि पर 0.07 हैक्टेयर भूमि पर तथा प्रकरण 05/2024 में खसरा सख्या 170 की भूमि पर 0.15 हैक्टेयर भूमि पर अपीलांट द्वारा बाड लगाकर अतिक्रमण करने के फ़लस्वरूप राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत बेदखली व जुर्माना आरोपित करने हेतु रिपोर्ट्स तहसीलदार, चामू को पेश की। ये दोनो ही रिपोर्ट संवत 2080 में किये अतिक्रमण के कारण पेश हुई है। दोनो ही प्रकरण में अतिक्रमित खसरा नम्बर 170 ही है। विवाद का बिन्दु भी एक जैसा ही है। अतः दोनो प्रकरणों को

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

संयोजित करके एक ही आदेश से निर्णित किया जाना सुविधानजक एवं न्यायोचित होने से एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में संलग्न की जावे।

6. पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के पीछे खसरा नम्बर 170 व 172 का नजरी नक्शा खींचा गया है, जिसमें अतिकमित भूमि की सभी भुजाओ का सटीक व एकदम सही नाप अंकित नहीं है। अपीलांट द्वारा नेखमबंदी से संबंधित कोई रिकार्ड पेश नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 04/2024 में अपीलांट द्वारा दिनांक 05.02.2024 को जवाब पेश हैं। जवाब के साथ गैर सायल ने दिनांक 30.06.2001 को पटवारी बारनाउ व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति पेश की है जो उप तहसीलदार बालेसर के आदेश क्रमांक 118 दिनांक 25.06.2001 की पालना में सहखातेदारान के मध्य खसरा नम्बर 148, 149, 172 के विवाद से संबंधित है। इस रिपोर्ट में खसरा संख्या 172 के नाप के सम्बन्ध में अंकन किया है कि खसरा नम्बर 172 की उत्तरी माठ सही नहीं है। रास्ता की चौड़ाई 5 गठा बताई है तथा खसरा संख्या 172 के खातेदारान ने 3 गठा का 120 गठा की लम्बाई पर खसरा नम्बर 170 में कब्जा पाया गया। उक्त रिपोर्ट 25 वर्ष पुरानी है। सन् 2001 के बाद कब कब बेदखली की कार्यवाही की गई है, ऐसा कोई तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नहीं हैं। दिनांक 25.06.2001 की रिपोर्ट में चूंकि रास्ते की चौड़ाई मात्र 5 गठा बताई है जो बहुत हीं कम है। अतः खसरा संख्या 170 का मौके पर सही लोकेशन तय करना तथा नवीनतम स्थिति रिकॉर्ड पर लाना बहुत ही जरूरी है, जो सिर्फ आधुनिक औजारो की मदद से नाप करने पर ही तय किया जा सकता है। आसपास के खसरो के नाप के साथ मुस्तकिल बिन्दु से सर्वे करने पर ही संभव है। अतः अपीलांट की अपीले स्वीकार योग्य है।

आदेश

7. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीले स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार चामू द्वारा प्रकरण संख्या 04/2024 (सरकार बनाम पेमाराम) व प्रकरण संख्या 05/2024 (सरकार बनाम प्रेमाराम) में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 अपास्त किये जाते है तथा दोनो प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि खसरा नम्बर 170 की मौके पर सही लोकेशन आधुनिक मशीन से नाप करके तय की जावे। नाप की फील्ड बुक तैयार की जावे। अगर खसरा संख्या 170 की सीमाओ

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

का सही लोकेशन निर्धारित करने के बाद अपीलार्थी या अन्य किसी भी व्यक्तियों का रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है तो उन्हे नियमानुसार 15 दिवस का नोटिस देकर सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जावे। अगर फिर भी अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है तो विधि अनुसार उनके खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6)(क) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावे। सार्वजनिक रास्तो से अतिक्रमण हटाने में ढिलाई बरतना जनहित में उचित नहीं है तथा कार्मिको के खिलाफ धारा 91(6)(ख) के तहत कार्यवाही अपेक्षित है।

8. अपीलांट तहसीलदार चामू के समक्ष दिनांक 10.07.2025 को उपस्थित हो। तहसीलदार 3 माह में प्रकरण का निस्तारण करे।

9. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली पुनः लौटाई जावे।

10. पत्रावंली बाद तामिल व तक्मील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर